

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 170/2012 सत्रवाद

संस्थापित दिनांक 02-07-2012

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1. दीपचन्द्र उर्फ दीपक पुत्र लायकराम वघेल उम्र 24 वर्ष।
2. श्रीमती गुड्डीबाई पत्नी लायकराम वघेल उम्र 47 वर्ष।
3. सीमा पुत्री लायकराम वघेल उम्र 22 साल।
समस्त निवासीगण ईदगाह के पीछे वार्ड क्रमांक 2 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

.....अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री केशव सिंह
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्रं0 384/2012 इ0फौ0
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्रं0 170/2012

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्तगण द्वारा श्री के0सी0उपाध्याय अधिवक्ता।

//नि-र्ण-य//

//आज दिनांक 27-10-2015 को घोषित किया गया//

01. आरोपीगण का विचारण धारा 304बी, 498ए भा0द0सं0 एवं 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 01.04.2012 की रात्रि दस बजे ईदगाह के पीछे वार्ड क्रमांक 2 गोहद में महिला प्रेमवती के पति एवं पति के नातेदार होते हुए दहेज की मांग कर उसे प्रताडित कर कूरता की गई जिस

कारण विवाह के सात वर्ष के अंदर सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा उसकी मृत्यु कारित हुई। उन पर यह भी आरोप है कि प्रेमवती के विवाह के कुछ दिन बाद दिनांक 01.04.2012 के पूर्व तक महिला प्रेमवती के साथ उसके पति और पति के नातेदार होते हुए क्रूरता का व्यवहार किया। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त अवधि के दौरान मृतिका प्रेमवती के ससुरालजन रहते हुए दहेज में सोने की लर की मांग की गई।

02. यह अविवादित है कि आरोपी दीपचन्द्र मृतिका प्रेमवती का पति है, आरोपिया गुड्डीबाई मृतिका की सास है एवं आरोपिया सीमा मृतिका की ननद है। यह भी अविवादित है कि प्रेमवती का विवाह उसकी मृत्यु के सवा साल पहले आरोपी दीपचन्द्र से हुआ था। यह भी अविवादित है कि शादी के एक साल एक महीने के बाद प्रेमवती को लडका हुआ था।

03. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 01.04.2012 की रात्रि दस बजे ईदगाह के पीछे वार्ड क्रमांक 2 गोहद में महिला प्रेमवती ने छत के कुन्दे से दुपट्टे से फाँसी लगा ली, उसे अस्पताल ले जाने के लिए उतारा गया लेकिन उसकी मृत्यु हो गई जो कि मर्ग क्रमांक 3/12 धारा 174 दं.प्र.सं. की दर्ज की गई। मृतिका के शव का नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मर्ग की जाँच की गई, मर्ग की जाँच के दौरान यह तथ्य आया कि भोलाराम की पुत्री प्रेमवती का विवाह दिनांक 12.02.2011 को आरोपी दीपचन्द्र वघेल के साथ सम्पन्न हुआ था। विवाह के समय प्रेमवती के पिता ने अपने हिसाब से दान दहेज दिया था। प्रेमवती को संतान के रूप में पुत्र पैदा हुआ। संतान होने के बाद दामाद दीपक के द्वारा मृतिका के माता पिता और परिवार वालों से यह कहा जाने लगा कि शादी में कुछ नहीं दिया है उसे सोने की लर दे दो, उन्होंने देने से मना किया। प्रेमवती को संतान होने के उपलक्ष्य में पछ देने के लिए मृतिका के भाई व अन्य लोग करीब पचास हजार रुपए का सामान लेकर उसकी ससुराल गए, किन्तु उसे भी आरोपी दीपचन्द्र, उसकी सास गुड्डीबाई और ननद सीमा ने कम माना और सोने की लर की मांग करते रहे और यह कहा कि दहेज भी कम दिया है लर लेकर आओ नहीं तो प्रेमवती को कष्ट होगा। उक्त लोगों के द्वारा प्रेमवती को लगातार यातनाएं दी जाने लगी। उनके द्वारा प्रेमवती को परेशान और प्रताड़ित कर दिनांक 01.04.2012 को उसकी सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना पर उसके पिता व माँ, भाई उसकी ससुराल पहुँचे और उनके द्वारा उसके मृत शरीर को देखा गया जो कि असामान्य रूप से उसकी मृत्यु हुई थी। मर्ग की जाँच पर आरोपीगण दीपचन्द्र जो कि मृतिका का पति है, गुड्डीबाई जो कि मृतिका की सास है और आरोपिया सीमा जो कि मृतिका की ननद है तथा हरीशचन्द्र (किशोर होने से किशोर न्यायालय भिण्ड भेजा गया) जो कि मृतिका का देवर है के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट

अपराध क्रमांक 66/12 धारा 304बी, 498ए सहपठित धारा 34 भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का प्र.पी. 10 के अनुसार दर्ज किया गया। प्रकरण की विवेचना आगे की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। घटनास्थल से एक दुप्पटा और एक शादी के कार्ड की जप्ती जप्तीपत्रक प्र.पी. 5 के अनुसार की गई। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि उपार्पण होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. विचारित किए जा रहे आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 304बी, 498ए भा0दं0सं0 एवं 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है। बचाव में बचाव साक्षी रामचरन कुशवाह व0सा0 1 व गंगाराम वघेल व0सा0 2 के कथन कराए हैं।

06. आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या मृतिका प्रेमवती की मृत्यु दिनांक 01.04.2012 को सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा कारित हुई?
2. क्या मृतिका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अंदर कारित हुई?
3. क्या मृतिका की मृत्यु के कुछ समय पूर्व आरोपीगण जो कि उसके पति व पति के नातेदार हैं के द्वारा सोने की लर की मांग को लेकर उसे प्रताडित कर उसे प्रति क्रूरता की गई?
4. क्या मृतिका की मृत्यु दहेज मृत्यु है?
5. क्या मृतिका को उसके विवाह के कुछ दिन बाद से और मृत्यु के पूर्व तक आरोपीगण जो कि पति और पति के नातेदार हैं के द्वारा उसे परेशान और प्रताडित कर क्रूरता का व्यवहार किया?
6. क्या आरोपीगण के द्वारा मृतिका के ससुरालजन रहते हुए दहेज में सोने की लर की मांग की?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 व 2 :-

07. दहेज मृत्यु के संबंध में धारा 304बी भा0दं0वि0 के प्रावधान किया गया है। उक्त धारा के आकृष्ट होने के निम्न आवश्यक तत्व हैं— (i) किसी स्त्री की मृत्यु दाह या शारीरिक क्षति के द्वारा या सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा कारित हुई हो। (ii) मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर हुई हो। (iii) मृत्यु के पूर्व उसके पति या पति के किसी नातेदार के द्वारा उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया हो। (iv) उक्त क्रूरता या तंग करने का कृत्य दहेज की मांग को लेकर या उसके संबंध में किया गया हो। (v) इस प्रकार की क्रूरता या तंग करने का कृत्य उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व किया गया हो। यदि उपरोक्त तत्वों की पूर्ति हो जाती है तो दहेज मृत्यु मानी जाएगी और ऐसा पति या पति के नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाले समझे जायेंगे।

08. इस संबंध में धारा **113बी साक्ष्य अधिनियम** भी उल्लेखनीय है जो कि दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा के संबंध में प्रावधान करता है जिसके अनुसार— “जब प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शित किया गया है कि मृत्यु के ठीक पहले उसे उस व्यक्ति के द्वारा दहेज की मांग के संबंध में परेशान किया गया था अथवा उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया था, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की।”

09. **धारा 2 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961** के अंतर्गत दहेज को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार— कोई भी सम्पत्ति या मूल्यवान् प्रतिभूति जो कि विवाह के समय या उसके पूर्व या उसके पश्चात् पक्षकारों के विवाह के संबंध में विवाह के पक्षकार या उसके माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार या उसके माता पिता या अन्य किसी व्यक्ति को या तो दे दी गई हो या दी जाने का करार किया गया हो उसे दहेज कहते हैं, लेकिन इसमें मैहर शामिल नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रावधान के अंतर्गत दहेज की मांग केवल विवाह के समय सीमित नहीं है, बल्कि विवाह के बाद की मांग भी उसमें शामिल है। इस बिन्दु पर स्टेट ऑफ आन्ध्रप्रदेश वि० राजगोपाल ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 1933 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया है कि विवाह सम्पन्न होने के बाद की गई मांग भी दहेज मानी जाएगी।

10. **धारा 498ए भा0द0सं0**— किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार के द्वारा स्त्री के प्रति क्रूरता करने के संबंध में दण्ड का प्रावधान करती है। उक्त धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार क्रूरता का अभिप्राय जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो कि ऐसी परिस्थिति

का है जिससे कि उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने या उस स्त्री के जीवन, अंग, स्वास्थ्य (वह चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति कारित करने की संभावना हो।

11. उपरोक्त वैधानिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि यदि धारा **304बी भा0दं0वि0** के अंतर्गत दर्शाए गए आवश्यक तत्वों की पूर्ति हो जाती है तो इस संबंध में धारा **113बी साक्ष्य अधिनियम** के प्रावधानों के तहत दहेज मृत्यु की उपधारणा की जायेगी। इस परिप्रेक्ष्य में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समग्र साक्ष्य पर विचार किया जाना उचित होगा।

12. डॉ० आलोक शर्मा अ०सा० 4 के द्वारा दिनांक 02.04.2012 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान मृतिका प्रेमवती पत्नी दीपचन्द्र का शव परीक्षण किया था जिसमें पाया कि मृतिका सामान्य कद काटि की थी जिसके शरीर पर साड़ी, ब्लाउज तथा पेटिकोट मौजूद थे, दोनों हाथों में चूड़ियाँ थी। मृतिका के गर्दन में दाईं तरफ फंदे का निशान था जिसका आकार 01 से.मी. गुणा 1.5 से.मी. था एवं गठान का निशान बाएं तरफ जबड़े के नीचे था। लार का निशान मृतिका के मुँह तथा नाक के आसपास दांयी तरफ मौजूद थे, आँखें खुली हुई थी, जीभ दाँतों के भीतर थी एवं शरीर पर अकडन मौजूद थी। शरीर पर कोई चोट के निशान मौजूद नहीं थे। फंदे के निशान को काटने पर अंदर की पर्तें सफेद थी। मृतिका के गले में कोई फंदा या कपड़ा मौजूद नहीं था। मृतिका की खोपड़ी साबुत थी, मस्तिष्क, फुसफुस, कंठनली, फेंफड़े, मुँह तथा ग्रास नली, यकृत, प्लीहा तथा गुर्दा कंजेस्टेड थे। हृदय का बायां भाग खाली था एवं पेट में खाने के कण मौजूद थे। अपने अभिमत में उक्त साक्षी बताया है कि मृतिका की मृत्यु फॉसी के द्वारा दम घुटने से हुई थी। फॉसी मृत्यु के पूर्व लगाई थी जो कि शव परीक्षण के 12 से 24 घण्टे के भीतर की थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 7 है जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

13. मृतिका प्रेमवती की मृत्यु के सूचना के पश्चात् उसके शव का पंचनामा तत्कालीन तहसीलदार गोहद आर.एस.वाफना अ०सा० 8 के द्वारा बनाया गया है। जिन्होंने अपने साक्ष्य में मृतिका के गले में बाईं तरफ चोट का निशान दिखाई देना एवं पंचों की राय में मृतिका की मृत्यु संदिग्ध प्रतीत होना पाया जाना बताया है जो कि लाश पंचायतनामा प्र.पी. 2 है बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

14. मृतिका प्रेमवती की मृत्यु हो जाना साक्षी भोलाराम अ०सा० 1, सोमवती अ०सा० 2, रविन्द्र सिंह अ०सा० 3 के कथनों में भी आया है जो कि लडकी के द्वारा फॉसी लगाने की सूचना मिलने पर उसकी ससुराल वालों के घर पर पहुँचना बताया है। वहाँ पर प्रेमवती को मृत अवस्था में देखा था और उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई इस संबंध में साक्षी भोलाराम

अ0सा0 1 के अनुसार वहाँ पर उपस्थित लोगों ने मृत्यु कैसे हुई यह पता न होना बताया और फिर उनके द्वारा बताया गया कि फाँसी लगाकर खत्म हो गई है। उसके द्वारा पूछे जाने पर कि फाँसी कहाँ और किससे लगाई लगाई तो वह रस्सी को नहीं बता पाए और दुप्पटे से फाँसी लगाना उनके द्वारा बताया गया। जबकि वह नीचे के कमरे में पड़ी थी। इसी प्रकार साक्षी सोमवती अ0सा0 2 के द्वारा प्रेमवती के गले में निशान देखना बताया है। साक्षी रविन्द्रसिंह अ0सा0 3 के द्वारा भी बताया गया है कि जहाँ पर लडकी के द्वारा फाँसी लगाया जाना बताया जा रहा है वहाँ कुंदे पर खूल लगी हुई थी। प्रेमवती के गले में हाथों के निशान थे, ऐडियाँ रगड़ी हुई थी।

15. इस प्रकार मृतिका प्रेमवती की मृत्यु का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 4 के अनुसार फाँसी के द्वारा दम घुटने से हुई थी। इस संबंध में उनके प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथन किसी प्रकार से प्रतिखण्डित नहीं हुए हैं। तसहीलदार आर.एस.वाफना अ0सा0 8 जिन्होंने भी मृतिका की मौत संदिग्ध होना बताया है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत भी कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है। मृतिका प्रेमवती की मृत्यु किसी बीमारी के कारण प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में हुई हो अथवा उसकी मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हुई हो ऐसा कहीं भी नहीं पाया जाता है। मृतिका की साशय या जानबूझकर के मृत्यु कारित की गई हो ऐसा भी समग्र अभियोजन साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में मानने का कोई आधार नहीं है। निश्चित तौर से मृतिका प्रेमवती की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में होनी नहीं कही जा सकती। उसकी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा होना प्रमाणित है।

16. मृतिका प्रेमवती की मृत्यु दिनांक 01.04.2012 को हुई है। प्रेमवती के शादी उसकी मृत्यु के सवा साल पहले होना साक्षी भोलाराम अ0सा0 1 जो कि मृतिका का पिता है के द्वारा बताया गया है। इसी प्रकार साक्षी सोमवती भी मृत्यु होने के एक वर्ष पहले प्रेमवती की शादी दीपचन्द्र के साथ होनी बताई है और साक्षी रविन्द्र सिंह के द्वारा भी मृत्यु के एक साल पूर्व उसका विवाह होना बताया है। उक्त बिन्दु पर साक्षी भोलाराम अ0सा0 1, सोमवती अ0सा0 2 एवं साक्षी रविन्द्र सिंह अ0सा0 3 के प्रतिपरीक्षण उपरांत कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है।

17. यह उल्लेखनीय है कि मृतिका के विवाह का कार्ड भी प्र.पी. 5 के अनुसार विवेचना अधिकारी आर.एस.रुहल अ0सा0 7 के द्वारा जप्त किया गया है। विवाह के उक्त कार्ड की जप्ती साक्षी रविन्द्र सिंह अ0सा0 3 के द्वारा भी प्र.पी. 5 के अनुसार की जाने का समर्थन किया गया है। विवाह का जो कार्ड जप्त किया गया है उसमें 12 फरबरी, 2011 को मृतिका प्रेमवती का विवाह आरोपी दीपचन्द्र के साथ सम्पन्न होना स्पष्ट होता है। अभियुक्त

परीक्षण में भी आरोपीगण के द्वारा विवाह के सवा साल के अंदर प्रेमवती की मृत्यु होना स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। इस प्रकार मृतिका की मृत्यु विवाह के सवा साल के अंदर हुई है, जो कि मृतिका की मृत्यु विवाह के सात साल के अंदर होने का तथ्य प्रमाणित है।

बिन्दु क्रमांक 3 लगायत 6:-

18. मृतिका प्रेमवती से उसकी मृत्यु के पूर्व दहेज की मांग करने और इस कारण उसे परेशान और प्रताड़ित करने का जहाँ तक प्रश्न है, इस बिन्दु पर भोलाराम अ0सा0 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया कि लडकी की शादी उसने अपनी हैसियत के अनुसार अच्छी तरफ से की थी। शादी के एक साल एक महीने बाद लडकी को एक लडका हुआ था। बच्चा होने के बाद उसकी बिटिया से ससुराल वालों ने पछ (संतान होने के उपलक्ष्य में दिया जाने वाला उपहार) की मांग की तब उसने पचास हजार रूपए का सामान दिया था। उसके दामाद दीपचन्द्र ने सोने की जंजीर की मांग की थी जो कि उससे एवं उसकी पत्नी ने जंजीर देने के लिए उसने कहा था, उन्होंने मना कर दिया था कि उनके पास अभी व्यवस्था नहीं है। जब पछ देने के लिए उसकी लडके गए तो वहाँ पर भी उसकी लडकी के ससुराल वालों ने लडके से झगडा विवाद किया था तो लडके ने कहा था कि आगे जंजीर दे देगे। उसके बाद उसकी लडकी को उसके पति आरोपी दीपचन्द्र, सास गुड्डीबाई और ननद सीमा तंग करने लगे और लडकी को फोन पर बातें नहीं करने देते और कहते थे कि तेरे बाप ने क्या दिया है। पछ की रश्म के एक माह बाद उसकी लडकी खत्म हो गई थी।

19. उक्त साक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में आगे यह बताया गया है कि उसे फोन पर सूचना मिली थी कि लडकी खत्म हो गई है। रात के समय वह अपनी पत्नी और लडके के साथ प्रेमवती के यहाँ पहुँचा तो वहाँ लोगों ने बताया कि लडकी रस्सी से फाँसी लगाकर खत्म हो गई है जो कि दुप्पटे से फाँसी लगाना बताया था। दूसरी मंजिल पर फाँसी लगाना बताया था और लडकी की लाश अन्य कमरे में पड़ी थी। सुबह 11 बजे पुलिस आ गई थी, पुलिस ने सफीनाफार्म जारी किया था जो प्र.पी. 1 है, लाश का पंचायतनामा प्र.पी. 2 बनाया था तथा आरोपी दीपचन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 3 बनाया था।

20. अभियोजन साक्षी सोमवती अ0सा0 2 जो कि मृतिका प्रेमवती की माँ है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में प्रेमवती के विवाह दीपचन्द्र के साथ होना और विवाह में उनके द्वारा अपनी हैसियत के अनुसार दहेज देना बताया है। साक्षिया ने यह भी बताया है कि उसकी लडकी का फोन आरोपी दीपचन्द्र ने छुड़ा लिया था इस कारण लडकी से बात नहीं हो पाती

थी। प्रेमवती की मृत्यु की सूचना पर उसके पास गई थी और उसने उसके गले पर निशान देखा था। यद्यपि उक्त साक्षिया के द्वारा शेष तथ्य के संबंध में अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन के द्वारा उक्त साक्षिया को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं।

21. अभियोजन साक्षी रविन्द्र सिंह अ0सा0 3 जो कि मृतिका का भाई है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि शादी के बाद उसकी बहन प्रेमवती ससुराल से मायके आती जाती रहती थी, उसकी बहन प्रेमवती का एक लडका भी हुआ था उसका पछ देने के लिए न्यौता देने चावल लेकर आरोपी दीपक आया था और दीपक ने कहा था कि उसे पछ में लर (सोने की चैन) चाहिए, उन लोगों ने अपने बहनोई दीपक से कहा था कि उनकी अभी लर (सोने की चैन) देने की गुंजाईश नहीं है। पछ देने के लिए वे लोग गए थे, उनके द्वारा लर न देने पर उनके बहनोई दीपक ने कहा था कि तुम्हारी बहन को परेशान रखूंगा। 01 अप्रैल, 2011 को उसके पिताजी के पास फोन आया और फोन लगाने वाले ने पहले बताया कि वह फॉसी लगाकर खत्म हो गई है फिर बताया कि वह सीरियस है। सूचना मिलने पर सभी लोग रात के 12-01 बजे अपनी बहन के पास गांव आए थे। बहन को फर्स पर नीचे डला हुआ पाया था। उसके गले में हाथों के निशान थे और ऐडियो रगड़ी हुई थी। उन्होंने ऊपर के कमरे में जाकर देखा तो कुंदे पर धूल लगी थी। आरोपीगण उनसे कह रहे थे कि बचा लो तुम्हारी बहन को दहेज के कारण मार दिया है। पुलिस घटनास्थल पर आई थी और सफीनाफार्म अ0सा0 1, लाश पंचायतनामा प्र.पी. 2 तैयार किया था। इसके अतिरिक्त पुलिस ने दुपट्टा एवं शादी का कार्ड प्र.पी. 5 के अनुसार जप्त किया जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

22. अभियोजन साक्षी आशा अ0सा0 5 के द्वारा केवल यह बताया है कि उसे रात्रि के समय रोने की आवाजें आई थी। उसे पता लगा कि प्रेमवती के मरने से उसके परिवार के लोग रो रहे हैं। उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर उसे सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं।

23. अभियोजन साक्षी आर.एस.वाफना अ0सा0 8 तत्कालीन तहसीलदार गोहद जिन्होंने कि दिनांक 02.04.2012 को मृतिका की लाश का पंचायतनामा बनाया था जो कि लाश चित अवस्था में फर्स पर पड़ी हुई थी, मृतिका के गले में बाईं तरफ चोट का निशान दिखाई दे रहा था। मृतिका की आंतरिक चोटें किसी महिला से दिखाई गई तो कोई चोटें न देखना बताया था। पंचायतनामा में पंचों की राय में मृतिका की मौत संदिग्ध प्रतीत होती है। लाश पंचायतनामा प्र.पी. 2 उनके द्वारा तैयार किया गया है जिस पर सी से सी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

24. आर.एस. रुहल अ0सा0 7 तत्कालीन एस.डी.ओ.पी. के द्वारा मार्ग की जाँच की गई है और जाँच के दौरान साक्षियों के कथन लेना बताया है और आरोपीगण के द्वारा अपराध कारित किया जाना पाये जाने से उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 66/2012 धारा 304बी, 498ए, 34 भा0दं0वि0 का पंजीबद्ध किया गया जो प्र.पी. 10 है जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया था जो प्र.पी. 11 है जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। भोलाराम के कथन लेखबद्ध किया था। इसके अतिरिक्त घटनास्थल से एक दुपट्टा आसमानी हरा फीका रंग का और एक शादी का कार्ड जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 5 बनाया था। आरोपी दीपचन्द्र एवं गुड्डीबाई को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 3 व 12 का बनाया था। प्रकरण के अन्य विवेचना जी.पी.शाक्य अ0सा0 6 जिन्होंने कि प्रकरण की अग्रिम विवेचना की है। विवेचना के दौरान दिनांक 04.04.12 को रविन्द्र पाल साक्षिया सोमवती के कथन लेखबद्ध किये गए हैं। दिनांक 29.04.12 को आरोपिया सीमा को गिरफ्तार करना बताया है।

25. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य कथन एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में साक्षियों के कथन की विश्वसनीयता एवं साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना उचित होगा। उक्त संबंध में पूर्व में वर्णित वैधानिक स्थिति के संबंध में भी विचार करना उचित होगा।

26. अभियोजन साक्षी भोलाराम अ0सा0 1 के साक्ष्य कथन का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त साक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन के मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उसकी लडकी प्रेमवती को लडका होने पर उसकी विटिया के ससुराल वालों ने पक्ष की मांग की थी और पक्ष में पचास हजार रुपए का सामान दिया था। उसका दामाद आरोपी दीपचन्द्र ने सोने की जंजीर (लर) की मांग की थी तो उन्होंने कहा था कि उनके पास व्यवस्था नहीं है लर अभी नहीं दे सकते हैं। उसका लडका पछ लेकर गया तो उससे भी विवाद किया और उसकी लडकी को आरोपी दीपचन्द्र व गुड्डी बाई और सीमा तंग करने लगे और फोन पर बातें नहीं करने देते थे और कहते थे कि तेरे बाप ने क्या दिया है।

27. उक्त साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में जो कि मुख्य परीक्षण दिनांक 25.07.2014 के उपरांत दिनांक 10.09.2014 को हुआ है। अर्थात् उसका प्रतिपरीक्षण पाश्चात्वर्ती तिथि में हुआ है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों का प्रतिखण्डन किया है। प्रतिपरीक्षण में किसी प्रकार की दहेज की मांग आरोपी दीपचन्द्र या अन्य आरोपीगण के द्वारा करने और इस कारण उसकी लडकी को परेशान करने की बात से इन्कार किया है और लडकी के द्वारा उसे इस संबंध में कोई बात भी न बताना अभिकथित किया है। इस

प्रकार साक्षी के द्वारा किन्हीं अज्ञात कारणों से मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों को प्रतिपरीक्षण में स्वीकार न करते हुए उनके विपरीत और प्रतिखण्डात्मक कथन किए हैं। साक्षी को अभियोजन के द्वारा पुनः परीक्षण भी किया गया है और पुनः परीक्षण में यह अभिकथित कर रहा है कि पहले मुख्य परीक्षण के जो कथन उसने दिए थे वह लोगों के वहकावे में दिये थे और इस सुझाव को गलत बताया है कि आरोपीगण से राजीनामा होने के कारण न्यायालय में बाद में झूठा कथन दे रहा है। साक्षी के द्वारा किसके वहकावे में आकर पूर्व में मुख्य परीक्षण के कथन दिए गए हैं ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया है।

28. निश्चित रूप से साक्षी भोलाराम अ0सा0 1 के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण के दौरान अभियोजन प्रकरण का समर्थन किया गया है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी के द्वारा मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों को प्रतिखण्डित किया है। उक्त साक्षी जिसका कि मुख्य परीक्षण के कुछ दिन पश्चात् उक्त साक्षी का प्रतिपरीक्षण हुआ है। इस संबंध में अभियोजन केद्वारा यह व्यक्त किया गया है कि साक्षी के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन प्रकरण का समर्थन किया जा रहा है और बाद में वह किन्हीं कारणों से प्रतिपरीक्षण के दौरान अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं करता है तो उसके द्वारा दी गई साक्ष्य पूरी तरह से अनदेखी नहीं की जा सकती है, बल्कि यदि अभियोजन प्रकरण में अन्य साक्षी मौजूद है तो इसे पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है, इस प्रकार के साक्षी की साक्ष्य को पूर्णतः नजरअंदाज या अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस बिन्दु पर ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 1853 खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी वि0 स्टेट ऑफ एम.पी., स्टेट ऑफ यू.पी. वि0 चेताराम ए.आई. आर. 1989 एस.सी. 1543 का हवाला दिया गया है।

29. निश्चित तौर से यदि साक्षी भोलाराम जिसका कि मुख्य परीक्षण दिनांक 25.07.2014 को हुआ है और उक्त साक्षी का प्रतिपरीक्षण दिनांक 10.09.2014 को हुआ है। इस दौरान किन्हीं अज्ञात कारणों से उक्त साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों का समर्थन न करते हुए उन्हें प्रतिखण्डित किया गया है। इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि मुख्य परीक्षण होने के पश्चात् उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण होने तक उसे बचाव पक्ष के द्वारा विनओवर कर लिया गया हो। इस परिप्रेक्ष्य में यदि उक्त साक्षी पाश्चात्वर्ती प्रक्रम में प्रतिपरीक्षण के दौरान अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं कर रहा है तो उसके सम्पूर्ण साक्ष्य कथन दरकिनार नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसके कथन के आधार पर यदि अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि हो रही हो तो उसे इस हेतु उपायोग में लाया जा सकता है।

30. अभियोजन प्रकरण के संबंध में महत्वपूर्ण साक्षी रविन्द्रसिंह अ0सा0 3 जो कि

मृतिका का भाई है के द्वारा स्पष्ट रूप से अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि बहन प्रेमवती को लडका होने पर पछ देने के लिए निमंत्रण देने चावल लेकर आरोपी दीपक आया था और आरोपी दीपक ने कहा था कि उसे पछ में लर (सोने की जंजीर) चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी पछ देने के लिए अपनी बहन की ससुराल गया था और वहाँ भी उसके बहनोई आरोपी दीपक के द्वारा उससे कहा गया था कि लर न देने से उसकी बहन को परेशान रखेगा और इसके पश्चात् उसकी बहन प्रेमवती की मृत्यु हो गई।

31. साक्षी रविन्द्र सिंह अ0सा0 3 के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में यदि उसकी बहन के द्वारा परेशान करने वाली बात उसे न बताना साक्षी के द्वारा कंडिका 4 में बताया है, किन्तु निश्चित तौर से उक्त साक्षी जो कि अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से आरोपी दीपक के उनके यहाँ आने पर लर (सोने की जंजीर) की मांग करने और बहन के यहाँ समारोह में जाने पर आरोपी दीपक के द्वारा उसे लर न देने पर यह कहा गया कि उसकी बहन को परेशान रखेगा और इसके पश्चात् ही प्रेमवती की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। साक्षी रविन्द्रसिंह के द्वारा किए गए उपरोक्त कथन प्रतिपरीक्षण उपरांत अखण्डनीय रहे हैं। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई भी तात्त्विक या गंभीर प्रकार का विरोधाभास अथवा विसंगति या लोप आना भी दर्शित नहीं होता है जिसके कारण उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती हो। उक्त साक्षी के द्वारा आरोपी दीपचन्द्र उर्फ दीपक को प्रकरण में झूठा लिप्त करने हेतु उसके विरुद्ध कोई कथन किये जा रहे हो ऐसा भी मानने का कोई आधार होना दर्शित नहीं होता है।

32. अभियोजन साक्षी रविन्द्रसिंह अ0सा0 3 के द्वारा किया गया कथन कि आरोपी दीपक के द्वारा लर (सोने की जंजीर) की मांग की गई थी का समर्थन अभियोजन साक्षी भोलाराम अ0सा0 1 जिसके संबंध में पूर्व में विवेचन में स्पष्ट किया जा चुका है के कथन के आधार पर भी होती है। साक्षी भोलाराम के द्वारा भी स्पष्ट रूप से आरोपी दीपचन्द्र के द्वारा सोने की जंजीर की मांग करने के संबंध में बताया है। साक्षी भोलाराम के द्वारा पहले अपने कथन में दीपचन्द्र के अलावा, सास गुड्डी बाई और ननद सीमा के द्वारा तंग करने की बात और लडकी को फोन पर बात न करने देने के बारे में बताया है, किन्तु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि घटना के संबंध में मुख्य साक्षी रविन्द्रसिंह अ0सा0 3 के द्वारा कहीं भी अन्य आरोपी गुड्डी बाई और सीमा के द्वारा कोई दहेज की मांग करने अथवा दहेज की मांग को लेकर के उनके द्वारा भी तंग करने के संबंध में कोई बात नहीं बताई है।

33. इस संबंध में प्रतिपरीक्षण में साक्षी भोलाराम अ0सा0 1 उसकी लडकी के द्वारा सास और ननद के द्वारा भी दहेज की मांग करने के संबंध में कोई बात नहीं बताना

अभिकथित किया है। इस बिन्दु पर अभियोजन साक्षी सोमवती अ0सा0 2 जो कि मृतिका की माँ है के साक्ष्य कथन में उसकी लडकी की सास और ननद के द्वारा थोडा बहुत परेशान करने वाली बात बताई है, किन्तु उनके द्वारा दहेज की कोई मांग लडकी से करने और इस कारण उसे प्रताडित किये जाने के संबंध में उक्त साक्षिया के कथन में भी नहीं आया है। साक्षिया सोमवती उसकी लडकी का फोन आरोपी दीपचन्द्र के द्वारा छुडा लेना अभिकथित कर रही है। यद्यपि उक्त साक्षिया पक्षद्रोही रही है, किन्तु उसके कथन कि आरोपी दीपचन्द्र के द्वारा लडकी का फोन घटना के पूर्व छुडा लिया गया था जो कि प्रतिपरीक्षण उपरांत अखण्डनीय रहा है के आधार पर आरोपी दीपचन्द्र के द्वारा प्रेमवती को परेशान करने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि होती है।

34. इस प्रकार अभियोजन साक्षी रविन्द्र सिंह अ0सा0 3 के कथन में कहीं भी आरोपिया गुड्डीबाई एवं सीमा के द्वारा कोई मांग उनसे या मृतिका प्रेमवती से किए जाने के संबंध में कोई तथ्य नहीं आया है। इस बिन्दु पर कि उक्त दोनों के द्वारा भी किसी प्रकार की कोई मांग की गई हो का समर्थन सोमवती अ0सा0 2 के कथन से भी नहीं होता है। ऐसी दशा में कोई मांग आरोपी दीपचन्द्र के अतिरिक्त अन्य सहआरोपीगण गुड्डीबाई और सीमा के द्वारा भी किये जाने के संबंध में साक्षी भोलाराम अ0सा0 1 के अपुष्ट कथन के आधार पर जिसका समर्थन किसी अन्य साक्षी के आधार नहीं हुआ है तथा जो स्वयं उसके प्रतिपरीक्षण में प्रतिखण्डित हुआ है का तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

35. दहेज मृत्यु के संबंध में यह अपेक्षा नहीं की सकती है कि चक्षुदर्शी साक्षी वहाँ मौजूद हो। घटना जो कि मृतिका के ससुराल के घर पर हुई है, वहाँ पर कोई स्वतंत्र साक्षी मौजूद हो ऐसी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि अभियोजन साक्षी आरती अ0सा0 5 के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया जा रहा है तो इससे कोई विपरीत अवधारणा नहीं की जा सकती है। इस प्रकार के प्रकरणों में मृत्यु के पूर्व आरोपियों के व्यवहार व मृतिका के द्वारा दी गई जानकारी तथा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि क्या मृत्यु के कुछ समय पूर्व दहेज की मांग को लेकर या इस संबंध में मृतिका को प्रताडित कर उसके प्रति क्रूरता की गई?

36. इस प्रकार के मामलों में साधारणतः आस पड़ोस अथवा गांव के लोगों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि दूसरों के घर में होनो वाली हर बात का उन्हें पता हो। साधारणतः इस प्रकार के अपराध में पड़ोस के या गांव के लोगों को यदि वह जानते भी है तो साक्ष्य देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस प्रकार के मामलों में पीडिता के मायके पक्ष के रिस्तेदार ही सर्वश्रेष्ठ गवाह होते हैं और किसी स्वतंत्र गवाह न होने पर कोई विपरीत प्रभाव

नहीं पड़ता है। जैसा कि इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कैलाश वि० स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2004(3), एम.पी.एल.जे. 249 राजेन्द्र वि० स्टेट ऑफ़ हरियाणा 2015(1) सी.सी.ए. सी. 213 एस.सी. में अवधारित किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि मृतिका प्रेमवती जिसका कि विवाह मृत्यु के करीब सवा साल पहले आरोपी दीपचन्द्र के साथ सम्पन्न हुआ था और विवाह के करीब एक वर्ष बाद उसका पुत्र भी उत्पन्न हो गया था। पुत्र होने के उपरान्त वह किसी प्रकार से बीमार आदि रही हो ऐसा कहीं भी नहीं आया है।

37. प्रकरण के जॉचकर्ता एवं विवेचना अधिकारी आर.एस.रुहल अ०सा० 7 तथा जी. पी.शाक्य अ०सा० 6 के द्वारा प्रकरण में मर्ग जॉच तथा विवेचना की कार्यवाही की गई है तथा जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई है। उक्त साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण उनके द्वारा की गई कार्यवाही किसी प्रकार से प्रतिकूलित होनी नहीं पाई जाती है।

38. प्रकरण में आई हुई परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि होती है। स्वभाविक रूप से पुत्र होने के पश्चात् मृतिका प्रेमवती खुश रही होगी, इसी दौरान पुत्र होने की खुशी में होने वाले समारोह के पूर्व से ही उसके पति दीपचन्द्र के द्वारा लर (सोने की जंजीर) की मांग की गई। पुत्र होने के खुशी के समारोह में मृतिका के भाई व परिवार के अन्य लोग गए थे और वहाँ अपनी हैसियत और इच्छा के अनुसार दान आदि दिया था, किन्तु आरोपी दीपचन्द्र के द्वारा उस समय भी लर (सोने की जंजीर) की मांग की गई और यह कहा गया कि प्रेमवती को वह परेशान रखेगा। उक्त समारोह के एक महीने के अंदर प्रेमवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। निश्चित तौर से जबकि महिला जो कि पुत्र होने पर स्वभावित रूप से काफी खुश रहती है और पुत्र होने के कुछ ही महीने पश्चात् अपने पुत्र को छोड़कर उसके द्वारा आत्महत्या कर लेना इस बात को दर्शाता है कि वह मानसिक रूप से परेशान रही होगी और जो कि निश्चित तौर से उसके पति के द्वारा उसके मायके पक्ष से सोने की चेन न की मांग पूरी न कर पाने के कारण उसका परेशान होना परिलक्षित होता है। इस प्रकार परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर भी इस बात की पुष्टि होती है कि प्रेमवती को उसके पति दीपचन्द्र की मायके पक्ष के द्वारा लर (सोने की चेन) की मांग पूरी न करने के कारण प्रताड़ित करता था और इस कारण ही उसकी अस्वभाविक परिस्थितियों में मृत्यु हुई।

39. बचाव पक्ष अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह भी व्यक्त किया कि मृतिका से या उसके परिजनों से दहेज की कोई मांग नहीं की गई है। संतान होने की खुशी में दिए जाने वाले दान (जिसे कि इस इलाके में पछ कहा जाता है) इसी से संबंधित प्रकरण बताया जा रहा है। संतान होने की खुशी में दिया जाने वाला दान दहेज की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त अपने तर्क में यह भी व्यक्त किया कि धारा 304बी भा०दं०वि० के अपराध हेतु

सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग को लेकर या उसके संबंध में प्रताडित किया जाना है। मृतिका की मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताडित किए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है।

40. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। यद्यपि यह सत्य है कि सन्तान के जन्म होने के प्रथा के अनुसार दी जाने वाली भेट दहेज की श्रेणी में नहीं माना गया है। जैसा कि इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नारायणमूर्ति वि० स्टेट ऑफ कर्नाटक ए.आई. आर. 2008 एस.सी. 3377 तथा सुतबीर सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब (2001)एस0सी0सी0 633 में अवधारित किया गया है। वर्तमान प्रकरण का जहां तक प्रश्न है अभियोजन के द्वारा यह बताया जा रहा है कि मृतिका प्रेमवती के पुत्र होने के उपरान्त सन्तान की खुशी में होने वाले कार्यक्रम जिसे इस क्षेत्र में पछ कहा जाता है के पूर्व से एवं कार्यक्रम होने के दौरान लर (सोने की जंजीर)की मांग आरोपी दीपचन्द्र के द्वारा की गयी है और इसी मांग के चलते उसके द्वारा प्रेमवती को प्रताडित किया गया।

41. प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रेमवती के सन्तान होने के उपरान्त उसके मायके पक्ष के द्वारा प्रथागत कार्यक्रम के अनुसार पच/दान दिया गया था। उक्त कार्यक्रम में दिया गया दान यद्यपि दहेज नहीं माना जा सकता। इस संबंध में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य जिसका कि पूर्व में विवेचन किया गया है उसके आधार पर स्पष्ट रूप से यह पाया गया है कि आरोपी दीपचन्द्र के द्वारा समारोह होने के पूर्व से ही लर (सोने की जंजीर) की मांग की गई। इसके अतिरिक्त जिस समय मृतिका के मायके पक्ष के लोग उसका भाई प्रथागत रीति में दान देने के लिये गया था उस दौरान भी आरोपी दीपचन्द्र के द्वारा सोने की जंजीर की मांग की गयी और यह कहा गया कि प्रेमवती को वह परेशान करेगा। उक्त कार्यक्रम में दिया गया दान यद्यपि दहेज नहीं माना जा सकता, किन्तु आरोपी दीपचन्द्र के द्वारा सोने की जंजीर की मांग करना जो कि मृतिका प्रेमवती के वैवाहिक स्थिति के कारण उससे एवं उसके मायके पक्ष के पिता और भाई से उक्त मांग की जाना इस बात को स्पष्ट करता है कि आरोपी दीपचन्द्र के द्वारा मांग की गयी थी वह मांग दहेज के रूप में है। इस परिप्रेक्ष्य में आरोपी दीपचन्द्र के द्वारा मृतिका प्रेमवती व उसके मायके पक्ष से जो सोने की जंजीर की मांग की गयी है वह उसकी वैवाहिक स्थिति और संबंध के कारण से की गई है जो कि निश्चित तौर से उक्त मांग दहेज की श्रेणी में आयेगा।

42. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया अन्य आधार कि धारा 304बी भा0दं0वि0 के प्रावधान और इस संबंध में धारा 113बी साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा किये जाने हेतु मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज आधारित क्रूरता या उत्पीडन प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। इस बिन्दु पर

बचाव पक्ष के द्वारा 2007(3)सी.सी.एस.सी. 1481(एस.सी.) एम.श्रीनिवासुलू वि0 आन्ध्रप्रदेश राज्य, 2009(3)सी.सी.एस.सी.1266(एस.सी.)रमन कुमार वि0 पंजाब राज्य, 2007(2)सी.सी.एस.सी. 901 राजालालसिंह वि0 झारखण्ड राज्य एवं तरसेमसिंह वि0 स्टेट ऑफ पंजाब ए.आई.आर. 2009 सुप्रीम कोर्ट 1454, मनोहर लाल वि0 स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2014 सुप्रीम कोर्ट 2555 रिफर किए गए हैं, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि कूरता या उत्पीड़न एवं प्रश्नागत मृत्यु के बीच समयांतराल नहीं होना चाहिए। दहेज पर आधारित कूरता और मृतिका की मृत्यु के बीच सम्भाव्य एवं सजीव सम्पर्क विद्यमान होना चाहिए।

43. मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग का यह अर्थ नहीं है कि मांग एक या दो दिन पूर्व की गई हो, बल्कि यह एक सापेक्ष शब्द है जो प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, प्रकरण में आयी हुयी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि सन्तान होने की खुशी में जो कार्यक्रम हुआ था एवं जिस कार्यक्रम के पूर्व एवं उसके दौरान आरोपी दीपचन्द्र के द्वारा मृतिका से दहेज की मांग की गयी थी उक्त कार्यक्रम के एक माह के अन्दर प्रेमवती की सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा मृत्यु हुयी है जैसा कि इस संबंध में अभियोजन साक्ष्य से स्पष्ट होता है। ऐसी दशा में मृतिका प्रेमवती की मृत्यु जो कि उसके पति दीपचन्द्र के द्वारा उससे एवं उसके मायके पक्ष से दहेज की मांग करने के एक माह के अन्दर हुयी है, निश्चित तोर से उक्त अवधि में मृतिका उक्त मांग के कारण और उसकी पूर्ति उसके मायके पक्ष के द्वारा न कर पाने के कारण उसे प्रताड़ना के फलस्वरूप मानसिक रूप से परेशान रही होगी और यही कारण है कि उसका नवजात बालक सन्तान होने के उपरान्त भी बालक को छोड़कर उसके द्वारा आत्महत्या करने का कदम उठाया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में दहेज की मांग जो कि आरोपी दीपचन्द्र के द्वारा की जाना पाई गयी है वह मृतिका प्रेमवती की मृत्यु के ठीक पहले उक्त दहेज की मांग उससे की जाना प्रमाणित होता है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य एवं परिस्थितियों वर्तमान प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न होने से बचाव पक्ष को कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है।

44. बचाव पक्ष के द्वारा अपने बचाव में यह आधार लिया गया है कि प्रेमवती की मृत्यु के पश्चात् उसके मायके पक्ष वाले अपनी दूसरी लडकी जो कि प्रेमवती की तलाकशुदा बडी बहन है की शादी आरोपी दीपचन्द्र से करना चाहते थे उनके घर वालों ने मना कर दिया तो इस कारण उन पर झूठा प्रकरण लगा दिया गया। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा बचाव साक्षी रामचरन कुशवाह व0सा0 1 एवं गंगाराम वघेल व0सा0 2 के कथन कराए गए हैं।

45. बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्षी रामचरन कुशवाह व0सा0 1 के द्वारा अपने साक्ष्य में यह बताया है कि प्रेमवती क्रोधी स्वभाव की थी इसलिए वह मर गई और उसकी अंत्येष्टी भी मायके वालों की सहमति से की गई। अंत्येष्टी के बाद उसका पिता भोलाराम यह कहने लगा कि उसकी तलाकशुदा लडकी का विवाह दीपचन्द्र से कर लो तो आरोपी दीपचन्द्र के पिता लायकराम ने मना कर दिया कि लडकी उम्र में बड़ी है और इसी पर भोलाराम के द्वारा रिपोर्ट कर दी गई। इसी प्रकार का कथन गंगाराम वघेल व0सा0 2 के द्वारा किया गया है।

46. उपरोक्त संबंध में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष के द्वारा कहीं भी अभियोजन साक्षी भोलाराम अ0सा0 1 को उक्त आशय का कोई भी सुझाव नहीं दिया गया है कि वह अपनी तलाकशुदा लडकी की शादी आरोपी दीपचन्द्र के साथ कराना चाहता था और आरोपी के परिवार के द्वारा मना करने पर रिपोर्ट की गई है। इस संबंध में यद्यपि अभियोजन साक्षी सोमवती अ0सा0 2 और रविन्द्रसिंह अ0सा0 3 को इस संबंध में सुझाव दिए गए हैं जिसको कि उनके द्वारा साफतौर से इन्कार किया गया है। उपरोक्त संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि बचाव साक्षी रामचरन कुशवाह व0सा0 1 एवं गंगाराम वघेल व0सा0 2 दोनों के द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि उनके सामने कभी भी भोलाराम की कोई बातचीत नहीं हुई थी। इस प्रकार उक्त साक्षीगण के कथन के आधार पर बचाव पक्ष को कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस बिन्दु पर यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त परीक्षण में आरोपी दीपक उर्फ दीपचन्द्र के द्वारा यह आधार लिया गया है कि उसके पिता की जायदाद में मृत्तिका के बच्चे का नाम कराने का दबाव बना रहे थे जो कि उस पर उसके पिता के अन्य भाई हिस्सेदार थे इस कारण नाम नहीं कराया गया और इसी बात को लेकर झूठी रिपोर्ट की गई। उक्त आधार भी बचाव पक्ष के द्वारा कहीं भी प्रमाणित नहीं कराया गया है। इस प्रकार बचाव पक्ष के द्वारा लिए गए आधार मान्य नहीं किए जा सकते हैं और इससे बचाव पक्ष को कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है।

47. इस प्रकार वर्तमान प्रकरण में आई हुई साक्ष्य जिसका कि पूर्व में विवेचन विश्लेषण किया गया है से यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि मृत्तिका प्रेमवती जो कि आरोपी दीपचन्द्र की पत्नी थी उसकी मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अंदर सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा कारित हुई है। प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि आरोपी दीपचन्द्र जो कि मृत्तिका का पति है के द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसके प्रति क्रूरता की गई और उसे तंग किया गया जो कि उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व उसे तंग या परेशान किया गया। ऐसी दशा में धारा 304बी भा0द0सं0 के आवश्यक तत्व आरोपी दीपचन्द्र के संबंध में

प्रमाणित होने पाए जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में धारा 113बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत आरोपी दीपचन्द्र के संबंध में यह उपधारणा की जाएगी कि उसके द्वारा मृतिका प्रेमवती की दहेज मृत्यु कारित की।

48. आरोपी दीपचन्द्र के द्वारा प्रेमवती जो कि उसकी विवाहिता पत्नी थी उससे एवं उसके परिवारजनों से दहेज के रूप में सोने की जंजीर की मांग की गई और इस कारण उसे प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरता की गई। आरोपी दीपचन्द्र के द्वारा की गई क्रूरता के फलस्वरूप प्रेमवती जिसका कि नवजात बालक हुआ था उसको छोड़कर उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होना पड़ा जो कि धारा 498ए भा0द0सं0 के अंतर्गत आरोपी दीपचन्द्र के विरुद्ध आरोप की प्रमाणिकता सिद्ध होती है।

49. आरोपी दीपचन्द्र के द्वारा उसकी पत्नी प्रेमवती से वैवाहिक संबंधों के आधार पर उसके मायके पक्ष से दहेज के रूप में सोने की जंजीर की मांग की जानी प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होता है।

50. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य से यह भी प्रमाणित होता है कि आरोपी दीपचन्द्र के द्वारा मृतिका प्रेमवती की मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज में सोने की चैन की मांग कर मृतिका प्रेमवती को प्रताड़ित किया गया और उक्त प्रताड़ना के फलस्वरूप ही उसकी मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा जो कि उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आरोपी दीपचन्द्र के द्वारा प्रेमवती से विवाह के पश्चात् दहेज के रूप में उसके मायके पक्ष से सोने की जंजीर की मांग किया जाना भी उपरोक्त साक्ष्य से प्रमाणित है। जहाँ तक अन्य विचारित किये जा रहे आरोपीगण गुड्डीबाई एवं सीमा का प्रश्न है। उक्त आरोपीगण के द्वारा दहेज की मांग को लेकर मृतिका प्रेमवती को परेशान व प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरता करना या उनके द्वारा प्रेमवती से कोई दहेज की मांग करने का तथ्य प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है।

51. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आरोपी दीपचन्द्र उर्फ दीपक के विरुद्ध अभियोजन का प्रकरण युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित होना पाते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 304बी, 498ए भा0द0सं0 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का आरोप प्रमाणित होना पाया जाता है। जबकि आरोपिया गुड्डीबाई एवं आरोपी सीमा के विरुद्ध अभियोजन का प्रकरण प्रमाणित होना न पाते हुए उक्त दोनों आरोपीगण को धारा 304बी, 498ए भा0द0सं0 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपीगण के जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

52. आरोपी दीपचन्द्र के संबंध में दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लेखन

अस्थाई रूप से स्थगित किया जाता है।

(डी.सी.थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्चयः—

53. दण्ड के प्रश्न पर आरोपी दीपचन्द्र स्वयं एवं अपर लोक अभियोजक को सुना गया। अपर लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध दहेज मृत्यु एवं दहेज के संबंध में प्रताड़ना का अपराध प्रमाणित होना पाया गया है। ऐसी दशा में विधि के द्वारा विहित अधिकतम दण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया है। जबकि आरोपी के द्वारा व्यक्त किया गया कि उसके विरुद्ध प्रथम प्रमाणित अपराध है, उसका कोई पूर्व का आपराधिक रिकार्ड नहीं है। वह परिवार का एक मात्र कमाने वाला सदस्य है जो मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करता है। ऐसी दशा में दण्ड के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने का निवेदन किया है।

54. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 304बी, 498ए भा0दं0वि0 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध प्रमाणित होना पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया गया है। मृतिका की मृत्यु विवाह के सवा साल के अंदर हुई है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपराध की प्रकृति, घटना के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी दीपचन्द्र उर्फ दीपक को धारा 304बी भा0दं0वि0 के अपराध हेतु 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 1000/— रूपए के अर्थदण्ड से एवं धारा 498ए भा0दं0वि0 के अपराध हेतु 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/— रूपए के अर्थदण्ड से एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप हेतु 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000/— रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया जाता है। अर्थदण्ड अदा करने की दशा में क्रमशः 06 माह, 02 माह एवं 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे। आरोपी को प्रदत्त सभी सजाएं साथ साथ भुगताए जाने का आदेश दिया जाता है।

55. आरोपी के द्वारा प्रकरण के अनुसंधान, जाँच व विचारण के दौरान न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि मूल सजा में समायोजित की जाए, इस संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाणपत्र प्रथक से बनाया जाए।

56. प्रकरण में जप्तशुदा दुप्पटा एवं शादीकार्ड मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी.सी.थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

(डी.सी.थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0